का तेल निकालने के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग और गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड दोनों ने प्रस्ताव किया है जो सरकार के विचाराधीन है और शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा।

दिल्ली के अस्पतालों में चिकित्सा सुविधायें

*187. **मौलाना अबैदुल्ला खान आज़मी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, सफदरजंग अस्पताल, और डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल जैसे बड़े अस्पतालों में एक्सरे व अन्य परीक्षण करवाने के लिए रोगियों को महीनों इंतजार करना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इन सुविधाओं का और अधिक विस्तार करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना एककों को इन सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु भी क्या कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है ।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) और (ख) रोगियों की संख्या में हो रही अत्यधिक वृद्धि के कारण उन्हें केवल विशेषज्ञ जांचों के लिये प्रतीक्षा करनी पड़ती है । इस वृद्धि के बावजूद, रोगियों को नेमी एक्स-रे और अन्य जांचों के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है । ऑटो एनालइजर और अन्य आधुनिक उपकरणों को खरीदने के लिए प्रावधान किए गए हैं । इन प्रयोजनों के लिए अधिक वित्तीय आवंटन किए गए हैं । प्रदान की जा रही सेवाओं में वृद्धि करने के लिए अतिरिक्त स्टाफ मंजूर किया गया है ।

(ग) एक्स-रे और प्रयोगशाला जांच की सुविधाएं चिकित्सा केन्द्र, संसद सौध स्वास्थ्य जांच केन्द्र, केन्द्रीय सचिवालय और कस्तूरबा नगर पॉलि-क्लिनिक में उपलब्ध हैं ।

188. *[Transferred to the 12th December 1991.]*

स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन रद्द किया जाना

*189. **श्री रणजीत सिंह :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 अक्तूबर, 1991 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में "50 फीडम फाइटर्स पेंशन पैपर्स रिजेक्टिड" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन के मामलों को रद्द किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या चूक करने वाले किन्हीं अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) नई सरकार द्वारा कार्यभार संभालने के बाद 34 मामलों को पुनरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया । इनमें से 19 मामलों में पहले किए गए निर्णय को बरकरार रखा गया । 3 मामलों में पेंशन स्वीकृत करने के बारे में पहले लिए गए निर्णय को बरकरार नहीं रखा जा सका क्योंकि पात्रता के मानदण्ड पूरे नहीं होते थे । अन्य मामले अभी विचाराधीन हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है ।

Installation of Expensive pollution Control Equipment

*190. SHRIMATI KAMLA SINHA: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government are insisting on the installation of expensive pollution control equipment for power projects even in cases where it is not required; and

(b) if so, what is the total number of power plants where work has been delayed because of such instance together with their locations?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Functioning of Delhi Police

*191. SHRI GHUFRAN AZAM:

SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have recently reviewed the overall functioning of the Delhi police in view of the phenomenal rise in the crime graph; and

(b) if so, whether Government propose to revamp the set up of the Delhi Police and the details thereof?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI S. B. CHAVAN): (a) and (b) The over-all functioning of Delhi Police is being regularly reviewed. At the recent high level meetings the crime situation and the measures to curb increase in crime were discussed. Certain measures such as inspections of police stations and petrolling pickets, night checking, disc petrolling, preventive actions, streamlining of intelligence system etc. to improve the functioning and the efficiency of the Delhi Police have been initiated.

Statehood for Pondicherry

*192. SHRI V. NARAYANASAMY: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have received a request from the Pondicherry Government for grant of Statehood to the Union Territory; and

(b) if so, what decision Government have taken thereon?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI S. B. CHAVAN): (a) Yes, Sir.

(b) The matter is under the consderation of Government.

Import of Cranes

*193. DR. NARREDDY THULASI REDDY: Will the Minister of RAILWAYS be peased to state:

(a) the number of 140 tonne capacity cranes imported recently;

(b) what is the total amount spent on their import;

(c) the detals of their deployment; and

(d) the number of machines which are in working order?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C K. JAFFER SHARIEF): (a) 9 cranes were last imported in 1986.

(b) Total FOB value of cranes and spares is DM 27.51 millions.

(c) The cranes are allotted to sheds at Delhi, Lucknow, Mughalsarai, Dhanbad, Asansol, Bilaspur, Bondamunda, Adra and Shahdol for use in the event of accident in the sections served by those sheds.

(d) All the 9 cranes are in working order.

मध्य प्रदेश में तेल शोधक कारखाना

*194. **श्री राधाकिशन मालवीय :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बी०पी० सी० एल०) ने मध्य प्रदेश में छः मीट्रिक टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाला एक ग्रासरुट तेल शोधन कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय लिया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) मध्य भारत में 6 मि. टन प्रतिवर्ष की ग्रासरुट रिफाइनरी स्थापित करने के लिए मैसर्स भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन (बी० पी०सी०एल०) ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है । प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।